रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एम० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 20 अप्रैल, 1989/30 चैत्र, 1911

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-171 004, *the* 10*th April*, 1989

No. 1-15/89-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Bill, 1989 (Bill No. 6 of 1989) having

727-राजपत्र/89-20-4-89-1,249.

मूल्य : 20 पैसे ।

been introduced on the 10th April, 1989 in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary.

1989 का विधेयक संख्यांक 6.

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1989

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1989 है।

धारा 11 का संशोधन।

1987 का 4

2. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के भाग (अ) की मद संख्या (vi) में आए "कृषि," शब्द और अल्प-विराम के चिन्ह के पश्चात् "औद्यानिकी," शब्द और अल्पविराम का चिन्ह अन्त: स्थापित किया जाए।

धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में :—

(क) उप-धारा (1) के भाग (अ) की मद संख्या (vii) में आए "कृषि," शब्द और अल्पविराम के चिन्ह के पश्चात् "औद्यानिकी," शब्द और अल्प-विराम का चिन्ह अन्त:स्थापित किया जाए।

(ख) उप-धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी : परन्तु यदि बोर्ड की बैठक गणपूर्ति क अभाव में स्थगित की जाती है तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिए आगामी बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।"

धारा 25 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (6) में आए शब्दों "और तुलनपत्र" का लोप किया जाए।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के अधीन दो पृथक-पृथक विश्वविद्यालय, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डा० वाई० एस० परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में औद्यानिकी ने कृषि उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। कृषि और औद्यानिकी उत्पादन की अभिवृद्धि के लिए कृषि और औद्यानिकी निदेशालयों और विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय अतिआवश्यक है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय मशरूम और मधुमक्खी पालन में अनुसंधान कर रहा है। ये दोनों विषय औद्यानिकी निदेशालय के पास भी हैं। इसलिए निदेशक औद्यानिकी को हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के सिनेट और प्रबन्ध बोर्ड के रूप में नियुक्त करना आवश्यक समझा गया है।

2. यह देखा गया है कि दोनों विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध बोर्ड, अपने-अपने विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में, दिन प्रतिदिन निर्णय लेते रहते हैं और अनेक समय विहित गणपूर्ति की अपेक्षा को पूर्ण करना कठिन हो जाता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह उपबन्धित करना उचित समझा गया है कि प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में इसके एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी और जहां प्रबन्ध बोर्ड की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की जाती है तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिए आगामी बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त में वाणिज्यिक निकायों द्वारा अपने लाभ और हानि दर्शाने के लिए तुलनपत्र तैयार किए जाते हैं। विश्वविद्यालय वाणिज्यिक निकाय नहीं है। उनके लेखों की संपरीक्षा होती है और संपरीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस स्थिति को देखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (6) के अधीन यथापरिकल्पित तुलनपत्र तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए धारा 25 में उपयुक्त संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

सन्त राम,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला–171004
10 अप्रैल, 1989

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 द्वारा निदेशक औद्यानिकी, हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सिनेट और प्रबन्ध बोर्ड में सम्मिलित करने के लिए, मूल अधिनियम की धारा 11 और 12 में संशोधन किया जा रहा है। उक्त विश्वविद्यालय के सिनेट और प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक औद्यानिकी को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा अदा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए राजकोष से कोई भी अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Krishi, Udyanikee Aur Vanikee Vishva-Vidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 1989 (1989 ka Vidheyak Sankhyank 6) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

Bill No. 6 of 1989.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 1989

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fortieth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title

1. *This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of* Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 1989.

Amendment of section 11.

2. After the world and sign comma "Agriculture." occurring in item (vi) of Part (A) of sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter called the principal Act), the word and sign comma "Horticulture," shall be inserted.

4 of 1987

Amendment of section 12.

3. In section 12 of the principal Act.—

(*a*) after the word and sign comma "Agriculture," occurring in item (vii) of part (A) of sub-section (1), the word and sign comma "Horticulture" shall be inserted; and

(*b*) for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely :

"(6) one-third of the members of the Board shall form quorum for a meeting of the Board:

Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, on quorum shall be necessary at the next meeting for the transaction of the same business.".

Amendment of section 25.

4. The words "and balance-sheet" occurring in sub-section (6) of section 25 of the principal Act, shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In this Pradesh two separate Universities *i.e.* Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur and Dr. Y. S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan are functioning under the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986. Horticulture has now acquired a prominent part in the total spectrum of agricultural production in our Pradesh. To boost the agricultural and horticultural production, co-ordination between Agriculture and Horticulture Directorates and these Universities is very essential. Apart from this, Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya is conducting research on mushroom, bee-keeping and apiculture. These subjects are also handled by the Directorate of Horticulture. It has, therefore, been considered necessary to appoint the Director of Horticulture as Member in the Senate and the Board of Management of the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya, Palampur.

2. It has been observed that Boards of Management of both the Universities take day to day decisions in relation to their Universities and many a time it becomes difficult to fulfil the requirement of prescribed quorum. In view of this it has also been considered desirable to fix 1/3 of the members of the Board of Management to be the quorum for its meetings and to provide that where a meeting of the Board of Management is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for transaction of the same business.

3. At the close of each year balance sheets are prepared by the commercial bodies, to depict their profits and losses. Universities are non-commercial bodies. Their accounts are audited and audit reports are prepared. In view of this there is hardly any need to prepare the balance-sheets by a University as envisaged under sub-section (6) of section 25 of the said Act. It has, therefore, been decided to amend section 25 suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

SANT RAM,
Minister-in-charge.

Shimla :
The 10th April, 1989.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill seek to amend sections 11 and 12 of the principal Act to include Director of Horticulture, Himachal Pradesh, in the Senate and the Board of Management of the Himachal Pradesh Krishi Vishva Vidyalaya. The expenditure on account of T.A./D.A. payable to the Director of Horticulture, for attending the meetings of the Senate/Board of Management of the said University, will be met by the University. There will be no additional expenditure for this purpose out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।